UPHR010048042026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस०सी०/एस०टी०(पी०ए०) एक्ट, हरदोई।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 2301/2026

1– चन्नू उर्फ अमित तिवारी पुत्र रणवीर तिवारी

2– कल्लू उर्फ सूर्यभान तिवारी पुत्र रामशंकर तिवारी

सर्व निवासीगण जरहा, थाना कासिमपुर, जिला हरदोई।

---------- प्रार्थी/अभियुक्तगण

बनाम

राज्य -------- ---------- अभियोगी

1– प्रार्थी/अभियुक्त **चन्नू उर्फ अमित तिवारी** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या– 42/2024, अन्तर्गत धारा 504, 506 भा०द०सं० व धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) एस०सी०/एस०टी० (पी०ए०) एक्ट तथा अभियुक्त **कल्लू उर्फ सूर्यभान तिवारी** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या– 42/2024, अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा०द०सं० व धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) एस०सी०/एस०टी० (पी०ए०) एक्ट थाना कासिमपुर, जिला हरदोई में प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण न्यायालय में न्यायिक अभिरक्षा में है।

2– संक्षेप में अभियोजन पक्ष के अनुसार दिनांक 05.01.2024 को सम करीब पांच बजे शाम को मैं अपने घर पर बैठी थी तभी विक्षीगण चन्नू मेरे घर पर आया तो मैंने कहा कि तुमने मेरा मीटर लगाने के लिये 3500/–रूपये लिये हो और मेरा मीटर क्यों नहीं लगा रहे हो। इसी बात को लेकर विपक्षी चन्नू ने गाली–गलौज व जाति सूचक शब्द कहने लगा। तभी उसका साथी कल्लू उर्फ रतीभान तिवारी अपनी मोटा साइकिल से आया और कहा कि पैसा नहीं देंगे जो करना हो तो कर लो और गाली–गलौज करते हुये मार पीट करने लगा जिससे मुझे व मेरे लड़के बन्ने को भी चोटें आई है। विपक्षी लोग गाली–गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी द्वारा थाना कासिमपुर पर दर्ज करायी गयी।

3– प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में मुख्य रूप से यह आधार लिए गए हैं कि उन्हें उपरोक्त मुकदमे में गांव की पार्टीबंदी के कारण झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण निर्दोष है। उनका यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। माननीय उच्च न्यायालय में कोई जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नही किया है, न विचाराधीन है और न निरस्त हुआ है। अतः जमानत पर अवमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

4– वादी को नोटिस जारी की गयी जो तामील हुयी, परन्तु वादी की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी।

5– जमानत प्रार्थनापत्र के सन्दर्भ में अभियुक्तपक्ष के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजनपक्ष को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

6– प्रार्थी/अभियुक्तगण पूर्व से अन्तरिम जमानत पर है। उनके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया हैं। धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) एस०सी०/एस०टी०(पी०ए०) एक्ट के अतिरिक्त प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य अभिकथित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय हैं। अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार प्रार्थनापत्र जमानत स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **चन्नू उर्फ अमित तिवारी व कल्लू उर्फ सूर्यभान तिवारी** का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मु० **25,000–25,000/– (पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि की **दो–दो प्रतिभू** प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांक 20–07–2026

प्रभारी विशेष न्यायाधीश,एस०सी०/एस०टी
(पी०ए०) एक्ट, हरदोई।